
## कार्यालय तहसीलदार, सदर

## चन्दौली (उ•प्र•)

प्रारूप - 1



प्रमाण पत्र संख्या (पिo जाति) - 662133-

014025

रा• नि• क्षेत्र अलीनगर

की जींच आख्या दि • 01-Oct-2013

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी संजय कुमार ग्रादव

स्पन्न/स्पन्नी/पत्नी-श्री

हरगोविन्द यादव

निवासी ग्राम बार्ड नं0 13 अलीनगर

तहसील सदर

नगर चन्दौली

चनदौली विला

उत्तर प्रदेश राज्य की अहीर

पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक संवा (अनुस्थित जातियों, अनुस्थित जनजातियों) और अन्य विजडे बर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (यथा संशोधित) की अनुसूर्यी—1 के अन्तर्गत मान्यसा प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि औ/श्रीमती/कुमारी संजय कुमार यादव

पूर्वांक्त अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची-2 (जैसा कि उ॰ प्र॰ लोक सेवा) (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित ंबनजातियों और अन्य पिछडेवमों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उन्प्र- लोक सेवा (अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछछे वर्गा के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता को निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय पाँच लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नही है।

भी/श्रीमती/वागरी संजय कुनार वादव

राधा / अवदा उनका परिवार एतर प्रदेश को ग्राम

वार्ड नं0 13 अलीनगर

तहसील सदर

नगर चन्दौली

जिला चन्दौली

न सामान्यतया एहता है।

स्थान ः तहसील तदर बन्दौली

(Cerim

04-Oct-2013

1000

तबाद सदर पन्दौली

05/8979-07/10

नोट- यह प्रमाण पत्र वेपसाइट http://bor.up.nic.in पर क्रमांक अकिस कर संस्थापन किया जा सकता है।

प्राचीना पत्र संख्या Tehsil-Sadar/Chandauli: 82711573148726

चनरोवत प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शा•प• 2700 चालीस 1-81 13/271/75 दि ⊍-७-ता के अप्तर्गत तहसीलदान सक्षम अधिकारी है।